फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–विष्णुलाल सालवी
किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट

विपक्षी :– चतरा डांगी
पत्रावली संख्या :– **49/18 प्रार्थना पत्र**
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00182

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी को दिनांक 07.01.2021, 28.07.2022, 01.12.2022, 17.01.2023, 16.02.2023, 12.09.2023, 13.02.2024, 14.05.2024, 22.10.2024, 14.01.2025, 06.03.2025, 21.04.2025, 09.06.2025, 09.09.2025, 14.10.2025, 12.11.2025, 13.01.2026, 29.01.2026 से आदेशित किया जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक विपक्षी संख्या 1 के सम्मन पेश नही किये गए है, पत्रावली वर्ष 2018 से तलबी में चली आ रही है। क्योंकि इतनी बार सम्मन पेश करने के लिए आदेशित किए जाने के बावजूद भी सम्मन पेश नही किए गए, जिससे यही जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता अपने मामले की पैरवी करने में गम्भीर नही है एवं प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है। अतः न्यायालय द्वारा पिछले लगभग 7 वर्षो से बार–बार आदेशित किए जाने के बावजूद भी प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा विपक्षी की तलबी हेतु उनके रजिस्टर्ड एडी सम्मन प्रस्तुत करने में असफल रहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:00 IST
Reason: SelfAttested